राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

——

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2643–पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–7–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । निगरानी मेमों एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण की सत्य प्रतिलिपियों से परिलक्षित होता है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–2014 के विरूद्ध प्रथम अपील 25–6–2014 को अथवा इससे पूर्व प्रस्तुत की गई है । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 47 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु 30 दिवस की समय सीमा निर्धारित है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील अधिकतम 2 माह विलंब से प्रस्तुत की गई है । माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आशय के न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये है कि समय सीमा के बिन्दु पर उदार रूख अपनाया जाना चाहिये और सामान्यत: जब तक कि प्रकरण में असाधारण विलंब न हुआ हो, प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया जाना चाहिये । अत: यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

R 2643 PBR/14

प्रकरण क्रं.

श्रीमती संगीता साहू पत्नि श्री
इन्द्रजीत साहू आयु वयस्क
निवासी-मकान नम्बर 36 श्रीनगर
कॉलोनी, निशातपुरा बैरसिया रोड
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 ...... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

नवकृष्ण एज्युकेशन सोसायटी
द्वारा सुरेन्द्र कुमार मित्तल
मित्तल कॉलेज, भोपाल मेमोरियल
चिकित्सालय के सामने, करौंद
भानपुर बायपास रोड, भोपाल .... उत्तरदाता

श्री राजेन्द्र पंचाल अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 12-8-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
[signature] 12-8-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

[signature] 20-8-14

उक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नजूल गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल म0प्र0 द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 22/अपील/2013-14 में पारित आलोच्य अन्तरिम आदेश दिनांक 30/07/2014 के विरूद्ध दूखित एवं परिवेदित होकर समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है